


बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश) 1308 पटना, दिनांक 31/8/15 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-22 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित के प्रावधान के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 15/एम व3-070/93 उ0शि0-2775 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अभिषद् (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

1. श्री कृष्णानन्दन प्रसाद वर्मा, ग्रा0+पो0-सुगाँव, जिला-जहानाबाद, स0वि0स0
 2. प्रो0 अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, ए0एन0 कॉलेज, पटना।
2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)- 1308

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 31/8/15




संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)- 1308

प्रतिलिपि :- सभी मनोनीत व्यक्तियों/संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।





संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग